

**पीएम श्री स्वामी आत्मानंद हिन्दी माध्यम (बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय)
सुकमा जिला-सुकमा (छत्तीसगढ़)**

क्रमांक /335/ स्पे.एजुकेटर/भर्ती/2025-26

सुकमा, दिनांक 23/09/2025

// विज्ञापन //

राज्य शासन समग्र शिक्षा, के स्वीकृति आदेशानुसार स्पेशल एजुकेटर भर्ती हेतु राज्य द्वारा चिन्हांकित पीएम श्री स्वामी आत्मानंद हिन्दी माध्यम (बालक हायर सेकण्डरी स्कूल, सुकमा में स्पेशल एजुकेटर के 01 पद पर वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट में एक निश्चित अवधि 10 माह के लिए अस्थाई रूप में स्वीकृत है। इस हेतु राशि 20,000.00 रुपये (शब्दों में :- बीस हजार रुपये मात्र) प्रतिमाह के मान से अस्थाई रूप में नियुक्त किया जाना है। उक्त पद में नियुक्ति हेतु विज्ञापन जारी किया जाना प्रस्तावित है। वॉक इन इन्टरव्यू (Walk in interview) स्थान खण्ड स्त्रोत समन्वयक कार्यालय, सुकमा में होगा। विज्ञापन का प्रारूप निम्नानुसार है :-

पद का विवरण एवं आरक्षण :-

क्र.	पदनाम	पद संख्या	अनु.जन जाति			अनारक्षित			अनु.जाति			अ.पि.व.		
			मुक्त	महिला	दिव्यांग	मुक्त	महिला	दिव्यांग	मुक्त	महिला	दिव्यांग	मुक्त	महिला	दिव्यांग
01	स्पेशल एजुकेटर	01	0	0	0	01	0	0	0	0	0	0	0	0

1. स्पेशल एजुकेटर का कार्य दायित्व निम्नानुसार होगा :-

1. स्कूल में दिव्यांग बच्चों को शिक्षा के मुख्यधारा से जोड़ने हेतु दायित्व।

2. स्पेशल एजुकेटर हेतु आवश्यक एवं न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता :-

- स्नातक उत्तीर्ण, आर.सी.आई, नार्म्स के अनुसार तथा भारतीय पुनर्वास परिषद् नई दिल्ली में पंजीकृत संस्थान से शिक्षा में स्पेशल बी.एड एवं आर.सी.आई से पंजीकृत होना चाहिए।
- छ: महीने का शिक्षण अनुभव समावेशी शिक्षा अंतर्गत दिव्यांगता के क्षेत्र में।

3. उपरोक्त समस्त पदों के लिए अन्य सेवा शर्तें निम्नानुसार है :-

- विद्यालय में स्पेशल एजुकेटर के पद निश्चित अवधि 10 माह हेतु अस्थायी रूप से स्वीकृत है।
- शैक्षणिक योग्यता शासकीय मान्यता प्राप्त संस्था से होने पर ही मान्य किया जावेगा।
- अभ्यर्थियों को रिक्त पदों के अनुसार दिये गये शैक्षणिक योग्यता एवं आर्हतायें विज्ञापन के तिथि के पूर्व होना चाहिए।
- उम्मीदवार छ.ग. राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है, सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न करें।
- सभी पदों के चयन हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी होनी चाहिए मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र संलग्न करें।
- अभ्यर्थी की आयु 01.01.2025 की स्थिति में न्यूनतम 21 से 35 वर्ष व 05 वर्ष की छूट होनी चाहिए।
- आवेदक को जन्मतिथि के प्रमाण के लिए 10 वीं परीक्षा प्रमाण पत्र/अंक सूची देना अनिवार्य होगा।
- आवेदक द्वारा आवेदन कार्यालय द्वारा जारी निर्धारित प्रारूप में ही जमा करें। आवेदन के साथ प्रमाण पत्रों की स्वयं द्वारा सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न करें।
- अपूर्ण/अस्पष्ट एवं त्रुटि पूर्ण आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा और न इन्हें पृथक से कोई सूचना दी जायेगी।
- आरक्षण एवं आयु सीमा में छूट प्रचलित शासकीय नियमों के अनुसार होगा।

11. उम्मीदवारों को अनुबंध के आधार पर विशुद्ध रूप से अस्थायी एवं निर्धारित अवधि के लिए रखा जायेगा। अतः आवेदक कलेक्टर जिला-सुकमा को नियमित नियुक्ति हेतु कोई दावा नहीं करेगा।
12. अनुबंध के आधार पर अस्थायी रूप से कार्य कर रहा उम्मीदवार मानदेय वृद्धि और नियमितिकरण हेतु न्यायालय में याचिका दायर करने हेतु पात्र नहीं होगा।
13. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में कार्य करने वाले अनुभवी अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जावेगी।
14. शासकीय/अर्द्धशासकीय अथवा निजी संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को अपना अनुभव प्रमाण पत्र के साथ नियोक्ता के अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। अन्यथा अनुभव प्रमाण पत्र विचारणीय नहीं होगा।
15. इन पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया वॉक इन इन्टरव्यू (Walk in interview) शाला चयन समिति द्वारा किया जावेगा। अंतिम निर्णय लेने का अधिकार चयन समिति अध्यक्ष को होगा।
16. उक्त नियुक्ति एकमुश्त मानदेय पर की गई नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगा। सेवा का स्वरूप निश्चित मानदेय पर आधारित रहेगा। सेवा समाप्ति के बाद नियुक्त कर्मचारी को किसी प्रकार के पेंशन भत्ता या अन्य राशि प्रदान नहीं की जावेगी।
17. चयनित उम्मीदवार को नियुक्ति पत्र प्राप्ति के तुरन्त ही निर्धारित तिथि में अपने कर्तव्य में उपस्थित होना पड़ेगा, अन्यथा प्रतिक्षा सूची के अगले उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जावेगी और अलग से आवेदक को औपचारिक सूचना नहीं दी जावेगी।
18. विज्ञापन की विस्तृत जानकारी जिला कार्यालय सुकमा के सूचना पटल एवं www.sukma.govt.in अवलोकन की किया जावेगा।

वॉक इन इन्टरव्यू

स्पेशल एजुकेटर पद हेतु दिनांक 29/10/2025 को स्थल पीएम श्री स्वामी आत्मानंद हिन्दी माध्यम (बालक, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय) सुकमा में प्रातः 11:00 बजे से 1:00 बजे तक पंजीयन एवं मूल दस्तावेज सत्यापन किया जायेगा। साक्षात्कार का समय 2 बजे से।

चयन प्रक्रिया

उम्मीदवार का चयन शैक्षणिक योग्यता (स्नातक) में प्राप्त अंको का 40 प्रतिशत अंक, 40 प्रतिशत स्पेशल बी.एड. का अंक, 10 अंक साक्षात्कार का व 10 अंक अनुभव 10 (1 वर्ष का 2 अंक अधिकतम 5 वर्ष का अनुभव 10 अंक) इस प्रकार कुल 100 अंक के आधार पर मेरिट सूची तैयार किया जायेगा।


प्राचार्य

शा.पीएम श्री स्वा.आ.हि.स्कूल, सुकमा
जिला-सुकमा (छ.ग.)

प्रति,

प्राचार्य,
पीएम श्री स्वामी आत्मानंद हिन्दी माध्यम
(बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय) सुकमा
जिला-सुकमा (छ.ग.) पिन कोड - 494111

1. आवेदित पद का नाम	:-
2. आवेदक का नाम (हिन्दी में)	:-
3. आवेदक का नाम (अंग्रेजी में)	:-
4. पिता/पति का नाम	:-
5. जन्मतिथि (अंको में)	:- दिनमाह.....वर्ष.....
(शब्दों में)	:-
6. दिनांक 01.01.2025 को आयु	:- दिनमाह.....वर्ष.....
7. लिंग	:- पुरुष/महिला.....
8. जाति/वर्ग	:- जाति.....वर्ग (ST/SC/OBC/Gen)
9. स्थायी पता	:-
	:-
	:-
	:-
10. पत्र व्यवहार का पता	:-
	:-
	:-
	:-
11. रोजगार पंजीयन एवं दिनांक	:-
12. विवाहित/अविवाहित	:-
13. क्या आवेदक दिव्यांग है	:-

यदि हो तो दिव्यांगता का प्रकार एवं प्रतिशत :-

14. शैक्षणिक योग्यता (समस्त प्रमाण पत्रों की स्व-सत्यापित प्रति संलग्न करें)



15. विशेष योग्यता :-

क्र	उत्तीर्ण परीक्षा	उत्तीर्ण वर्ष	बोर्ड/वि.वि.का नाम	प्राप्तांक/पूर्णांक	प्रतिशत	श्रेणी	RCI क्रमांक
01							
02							
03							

16. अनुभव का विवरण :- (अनुभव होने पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की स्व-प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)

विभाग/कार्यालय/संस्था का नाम	पदनाम	अनुभव की अवधि	वेतन मान

17. अनिवार्य संलग्न प्रमाण पत्र की सूची (स्व-प्रमाणित) :-

1. निवास प्रमाण पत्र की स्व-प्रमाणित छायाप्रति।
2. रोजगार पंजीयन प्रमाण पत्र की स्व-प्रमाणित छायाप्रति।
3. जन्मतिथि हेतु प्रमाण पत्र की स्व-प्रमाणित छायाप्रति।
4. निर्धारित शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र की स्व-प्रमाणित छायाप्रति।
5. अनुभव प्रमाण पत्र की स्व-प्रमाणित छायाप्रति।

आवेदक/आवेदिका के हस्ताक्षर

आवेदक/आवेदिका का नाम

:: घोषणा पत्र ::

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ कि इस प्रपत्र में दिये गये समस्त विवरण तथा संलग्न अभिलेख मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है और यदि ये असत्य पाये जाते हैं, तो मेरी उम्मीदवारी/नियुक्ति निरस्त किये जाने योग्य होगी और मेरी विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।

स्थान :-

दिनांक :-

आवेदक/आवेदिका के हस्ताक्षर

आवेदक/आवेदिका का नाम